

Delhi Sikh Gurdwaras (Management) Ordinance, 1971. [Placed in Library. See No. LT-474/71.]

**THE MYSORE STATE
LEGISLATURE (DELEGATION OF
POWERS) BILL, 1971**

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Bill for introduction. Mr. Pant.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (राजस्थान) : श्रीमन्, प्वाइंट आफ आर्डर ।

श्री उपसभापति : क्या मैसूर के बारे में है ?

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : जरा सुन लीजिये । माननीय पंत जी मैसूर में राष्ट्रपति शासन के सम्बन्ध में जो पावर्न देने के बारे में मूव कर रहे हैं तो मैं यह जानकारी पहले जानना चाहता हूँ कि पंजाब में पंजाब के गवर्नर ने...

श्री उपसभापति : यह मैसूर के बारे में है ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : जरा सुन तो लीजिये । आप बात तो सुनिये । एक मिनट । ...पंजाब के गवर्नर ने विधान सभा भंग कर दी है और सरकार ने उस बारे में निर्णय नहीं लिया है, इस प्रकार की बात आ रही है ।...

श्री उपसभापति : मैसूर और पंजाब को मिस न कीजिये ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : हिन्दुस्तान की केन्द्रीय सरकार पंजाब के गवर्नर ने जो राय दी वह नहीं मान रही है क्योंकि वह केन्द्रीय पार्टी के खिलाफ पड़ रहा है । पंजाब के गवर्नर ने राय दे दी है और आज पहली बार है कि गवर्नर ने केन्द्रीय सरकार की इच्छा के विरुद्ध एक राय दी है । जो कुछ अखबारों में समाचार आया है उससे पता चला है कि माननीय पंत जी ने प्रधान मंत्री के साथ बैठ कर के इस बारे में बातचीत की है, चर्चा की है, कि किस प्रकार से पंजाब के गवर्नर ने जो राय दी है उस राय को नल एंड वायड किया जाय । तो इसके बारे में गम्भीर रूप से चिन्ता हो रही है । चूंकि माननीय पंत जी यहां मौजूद हैं तो मैं चाहूंगा कि पंजाब के सम्बन्ध में गवर्नर ने जो रिपोर्ट भेजी है उसके बारे में पंत जी अपनी स्थिति को स्पष्ट करें ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Yes, Mr. Pant.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. C. PANT) : Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to confer on the President the power of the Legislature of the State of Mysore to make laws.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI K. C. PANT : Sir, I introduce the Bill.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आपत्ति के बारे में क्या किया ! मेरी आपत्ति का जवाब तो दिलवाइये ।

सरदार रघुबीर सिंह पंजहजारी (पंजाब) : डिप्टी चैयरमैन साहब, मैं आपकी नोटिस में एक जरूरी मसला लाना चाहता हूँ और वह यह है कि...

श्री उपसभापति : जरा एक मिनट । गोखले जी का बिल इंट्रोड्यूज हो जाने दीजिये ।

**THE DELHI SIKH GURDWARAS
(MANAGEMENT) BILL, 1971**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI NITI RAJ SINGH CHAUDHURY) : Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the better management of certain Sikh Gurdwaras and Gurdwara property.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI NITI RAJ SINGH CHAUDHURY : Sir, I introduce the Bill.

REFERENCE TO DEVELOPMENTS IN PUNJAB

सरदार रघुबीर सिंह पंजहजारी (पंजाब) : डिप्टी चैयरमैन साहब, आज पंजाब असेम्बली...

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (राजस्थान) : पहले पंजाब के बारे में मेरे सवाल का जवाब तो दिलवाइये ! पंजाब के बारे में पंत जी तो बोलें ।

सरदार रघुबीर सिंह पंजहजारी : आप मेरा पहले सुन लीजिये ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : आपकी एक पार्टी वहां है, आपकी क्या सुनूं । पन्त जी बोल दें तो सारा मामला स्पष्ट हो जाय । मैं पन्त जी से जवाब चाहता हूं ।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (बिहार) : माननीय सदस्य ने पंजाब के बारे में जो कहा है । उसका जवाब पहले हो जाना चाहिये ।

श्री उपसभापति : शायद पंजहजारी जी भी पंजाब के बारे में कहना चाहते हैं उसके बाद जो कहना होगा मिनिस्टर कहेंगे । दस बार सदस्य उठें और दस बार मिनिस्टर जवाब दें, यह ठीक नहीं है । इनके कहने के बाद मिनिस्टर कहेंगे कि क्या कहना है ।

सरदार रघुबीर सिंह पंजहजारी : डिप्टी चेरमैन साहब, आज पंजाब असेम्बली की मीटिंग होने वाली थी और कल अकाली पार्टी का चीफ मिनिस्टर माइनारिटी में हो गया था । माइनारिटी में होने के बाद उन्होंने गवर्नर को रिक्मण्ड किया असेम्बली को भंग करने के लिए और मैं समझता हूं सबसे अन्कांस्टीट्यूशनल काम अगर किसी ने किया है तो वह गवर्नर ने किया है और माइनारिटी में होने वाले चीफ मिनिस्टर की रिक्मण्डेशन को मानकर उन्होंने असेम्बली को तोड़ा । उनको चाहिए यह था, जब कि अपोजिशन पार्टी वालों का बहुमत आ गया था, तो असेम्बली में ही इस बात का फैसला होना चाहिए था कि कौन सी पार्टी बरसरे इक्तिदार है और उसकी ही हुकूमत होनी चाहिए । लेकिन हमें यह मौका नहीं दिया गया, आज के दिन जब पंजाब असेम्बली का सेशन होने वाला था हमें मंजारीटी दिखाने का मौका नहीं दिया गया । मैं मांग करता हूं कि गवर्नर को प्रेसीडेंट जल्द से जल्द डिसमिस करें उनके इस बाहियात फैसले की बिना पर जो उन्होंने माइनारिटी के चीफ मिनिस्टर के फैसले के मुताबिक किया । मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि आपके हाथ में इस वक्त कांस्टी-

ट्यूशन को बचाना है । कांस्टीट्यूशन को भंग किया है गवर्नर ने और कांस्टीट्यूशन को बचाने के लिए यह सदन आपसे निवेदन करता है ।

श्री भूपेन्द्र सिंह (पंजाब) : डिप्टी चेरमैन सर, इसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि जब गुरुनाम सिंह मिनिस्ट्री टूटी थी उस वक्त श्री बादल को मिनिस्ट्री बनाने के लिए इन्वाइट किया लेकिन इस दफा जब गुरुनाम सिंह गवर्नर साहब के पास गए तो उनको मौका ही नहीं दिया गया और माइनारिटी की बात मान ली । गुरुनाम सिंह के साथ मंजारीटी थी, 17 आदमी उनके पास थे, 15-20 और आ गए इसी वजह से गवर्नर को उनसे कहना चाहिए था कि सरकार को बनाएं । अगर वह गवर्नरमेंट नहीं बना सकते, या रेफ्यूज करते फिर बेशक राष्ट्रपति रूल कायम किया जाता या असेम्बली डिजाल्व की जाती लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं किया गया । यह बिलकुल अन्-डिमोक्रेटिक बात उन्होंने की है, वह डिमोक्रेटिक है नहीं, इसलिए आपको चाहिए कि ऐसा यत्न करें कि असेम्बली को सस्पेन्ड किया जाए या बहाल किया जाए और दूसरी पार्टी को मौका दिया जाय । अगर दूसरी पार्टी सरकार न बना सके तो बेशक डिजाल्व कर दिया जाय । इस लिए मैं कहना चाहता हूं कि यह जो कुछ किया गया है, गलत है और बिलकुल अन्-डिमोक्रेटिक है ।

श्री उपसभापति : पंत जी, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं इसके बारे में ?

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : श्रीमन्, मेरा निवेदन रह गया ।

श्री उपसभापति : अभी आपकी पार्टी का बयान तो हो गया ।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : उन्होंने दूसरे प्वाइन्ट पर उठाया . . .

श्री उपसभापति : वह पंजाब के बारे में कहा था ।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : आज, श्रीमन् देश के सामने सबसे गम्भीर समस्या है दलबदल की और श्रीमन् कांग्रेस ने निश्चयपूर्वक अपने शासन की ताकत ने जो पैसा जुटाया है उसी के बल पर उसने यह दलबदल कराया है बिहार की सरकार के साथ भी, जो वहाँ की संविद सरकार थी उसमें जो उनका सर्व विख्यात आदमी हो गया हिन्दुस्तान में, यशपाल कपूर, जो पैसे की धौली लेकर बिहार की सरकार को गिराने गया...

(Interruptions.)

सरदार रघुबीर सिंह पंजहजारी : बिलकुल गलत है।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : बिहार की सरकार को गिराने के बाद श्रीमन्, देश के सामने और प्रजातंत्र के सामने आज सबसे बड़ा खतरा उपस्थित है। मैं आज गृह मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूँ क्योंकि यशपाल कपूर को पैसा देकर केन्द्र की सरकार ने बिहार की सरकार को गिराया है और बिहार की सरकार को गिराने के बाद उसी दिन कांग्रेस की सरकार ने यह तय किया कि पंजाब की सरकार को गिराया जाए। बिहार की सरकार को गिराकर यशपाल कपूर ने वहाँ पहुँच कर अकाली दल के सदस्यों में दलबदल कराया और तीसरा अभियान उनका यह है कि यशपाल कपूर उड़ीसा चले और वहाँ की डेमोक्रेटिक संविद की सरकार को समाप्त कर दें। तो श्रीमन्, गृह मंत्री ने तय कर लिया है कि हिन्दुस्तान में कहीं भी किसी विरोधी दल की सरकार को नहीं रहने दिया जाएगा। किसी भी प्रजातंत्रीय शासन को नहीं रहने दिया जाएगा जिसमें विरोधी दल शामिल हैं। इसलिए मैं गृह मंत्री से चाहूँगा वे इस पर प्रकाश डालें कि वह प्रजातंत्र को या संविद सरकार को चलने देना चाहते हैं या नहीं और दलबदल रोकने के लिए कानून लाएंगे या नहीं। उस कानून को भी सरकार बनने देने से रोके हुए है। जहाँ तक उनका हाथ चल सकता है वह दलबदल करा रही है। लोक सभा में बहुमत में आ जाने से अपने ताकत के बल पर और पैसे के प्रभाव से वह यह सब करा रही है...

5-8 RS/71

श्री उपसभापति : अब काफी हो गया है।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : श्रीमन्, इसीलिए शंका पैदा हो गई है कि बैंक काउंड में 60 लाख रुपए का अपहरण क्यों हुआ था, वह कहाँ से और कैसे निकाला...

श्री उपसभापति : ये सारी बातें यहाँ लाने की जरूरत नहीं है। पंजाब के बारे में ही अपने को सीमित रखें।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : श्रीमन्, जरा विचार करके देखें। हमने संविधान बनाया, मूलक के लिए प्रजातांत्रिक व्यवस्था बनाई। सबको यह अधिकार दिया गया है प्रजातंत्र में कि चुनाव लड़कर बहुमत प्राप्त करें, सभी लोग मिलकर सरकार चलाएँ...

श्री उपसभापति : ठीक है, समाप्त कीजिए।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : समाप्त करना चाहता हूँ, यह सारे सवाल को ही समाप्त करना चाहता हूँ। यह सरकारों को समाप्त करने की दलबदल की नीति को सारे लोगों ने, सभी दलों ने, बुरा समझा, और यह चाहा कि इसके लिए कानून लाया जाए लेकिन इस सारी सरकार के सामने अगर विकास के नाम पर कोई कार्यक्रम रह गया है तो यही रह गया है कि किसी प्रकार लोक सभा के, विधान सभा के सदस्यों को पैसे के बल पर खरीदा जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सरकार इस पर प्रकाश डाले जिससे लोगों को और दूसरे दल वालों को यह विश्वास हो कि यहाँ पर प्रजातंत्र ठीक तरह से चल रहा है।

श्री गुरुमुख सिंह मुसाफिर (पंजाब) : डिप्टी चेयरमैन साहब, मैं आपका ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता हूँ और नहीं मैं ज्यादा बात कहना चाहता हूँ। एक बात मुझे जरूर कहनी है। मुझ से पहिले भाई ने जो बात कही है पंजाब के बारे में, वह बिलकुल गलत है। जो उन्होंने कांग्रेस पार्टी के बारे में कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पंजाब में (Interruptions) अगर आप को कर तसल्ली न हो तो आप फिर कह सकते हैं।

[श्री गुरुमुख सिंह मुसाफिर]

मैं यह कहना चाहता हूँ कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी ने दल बदली को इन्करेज नहीं किया। पहिले जब श्री गुरुनाम सिंह की गवर्नमेंट को तोड़ा गया था तो अकालियों ने खुद तोड़ा था और आज अकाली सरकार खुद माइनारिटी में आ गये हैं। कांग्रेस ने इस बारे में कोई दखल नहीं दिया और अकाली खुद अपनी कमजोरी के कारण माइनारिटी में आ गये।

अब सवाल है कांस्टीट्यूशन का और क्या गवर्नर को इतना एक्सट्रीम स्टेप लेना चाहिए था या यह देखना चाहिये था कि वहाँ पर क्या कुछ हो सकता है इस मामले में। गवर्नर ने जो कुछ वहाँ पर किया वह ठीक नहीं किया और उसने इतनी जल्दी चीफ मिनिस्टर की बात को मान लिया जिस के दावत यकीन था कि खुद उसकी पार्टी माइनारिटी में हो गई है और खुद उसको अपनी पार्टी नहीं चाहती है। जिसे खुद अपनी पार्टी न चाहती हो, जिस चीफ मिनिस्टर की मेजारिटी नहीं रह गई, उसकी बात मान कर और सारे कांस्टीट्यूशन को मुअतल कर देना, असेम्बली को डिमिशन देना, सारे सूबे को मुसीबत में डाल देना, आया यह ऐक्ट गवर्नर का ठीक है या नहीं और कांस्टीट्यूशनल है या नहीं। मेरे कई भाइयों को आदत पड़ गई है कि इधर उधर की बातों को लाकर कांग्रेस पार्टी को जहर बदनाम करना ब्रवाह उसका जिक्र हो या न हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि असल सवाल पर बहस हो।

SHRI K. CHANDRASEKHARAN (Kerala) : Mr. Deputy Chairman, Sir, we cannot have different standards for different occasions. I have heard it in this House from Mr. Y. B. Chavan, when he was Minister in charge of Home Affairs, that the Governor has got discretionary powers under the Constitution and he is well within his right to use those discretionary powers. Now, everybody knows that defections are galore throughout the country and I defections are galore particularly in Punjab. I heard it said from a Congress (R) friend this morning, "the slate is almost clean, except probably in

Orissa". There are allegations and criticisms of operation toppling. I do not want to go into that at this stage. But I must say that the Governor was well within his rights under article 174(2)(b) to dissolve the Punjab Legislative Assembly. And if the Governor has done that and the Centre does not like it, certainly, the Centre also may be within its rights to dismiss him if it wants to do that. But it is a matter for their administrative discretion. It is not a question of Constitutional propriety. It is only a question of executive exigencies and administrative exigencies. I submit, Sir, that the only thing that can be done under the circumstances is to await the report of the Governor and impose President's rule under article 356 of the Constitution.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Goray, do you want to say something?

SHRI N. G. GORAY (Maharashtra) : Sir, I just wanted to point out that this toppling operation everywhere is generally putting the Governors in a quandary and I do not know why the Governors are reacting in different ways in similar circumstances. Sir, in this case when it was known that the Assembly anyway was to meet to-day, most probably at 11 O'Clock, the Governor ought to have given a chance to other parties to come forward, and if they were in a position to form a Government, then the Governor should have considered the case on merits. But so far as Press reports go, we are told that Shri Gurnam Singh had approached the Governor and it is said that he was told that the Governor was at lunch and would meet him after a few hours. At about 4 O'Clock, by the time he reached there, the order had already been issued that the Assembly had been dissolved. I know that it can be said that he acted on his own discretion. But was it not his discretion that he should have consulted those parties who said that they could command a majority? After all, there was not going to be a very long lapse of time. The Assembly was scheduled to meet within twenty-four hours. Where was the hurry to dismiss or dissolve the whole Assembly and make it impossible for any other party or parties to come together and to give an alternative Government to the State of Punjab? Thus is something that I have not been able to understand. The whole position seems to be that any Governor can take any decision and we are faced with a

jait accompli, and a *feat accompli* means new elections and a lot of expenditure, a lot of expenditure of energy and other things. I would like to know, therefore, whether the Central Government is going to lay down certain guiding principles so far as Governors are concerned or whether the Governors are to do what they like and then plead that they are doing it under their discretion. All this creates so many difficulties for all of us.

SHRI AKBAR ALI KHAN (Andhra Pradesh): With regard to discretion I would only like to submit, let the Governors understand that it is a judicious discretion, it cannot be used at their sweet will and pleasure; it should be used properly.

SHRI CHANDRA SHEKHAR (Uttar Pradesh) : Sir, I support the view expressed by Nanasaheb Goray, and I think if this right is granted to the Governors, as my friend, Mr. Chandrasekharan, said. . .

SHRI K. CHANDRASEKHARAN : I never wanted it to be granted. I am opposed to it.

SHRI CHANDRA SHEKHAR : If he has done it in his discretion, I shall appeal to the Union Government to act in its own discretion and dismiss the Governor as soon as it can so that Governors can learn a lesson that they cannot ride roughshod over the aspirations of the elected representatives of the people.

SHRI K. CHANDRASEKHARAN : This has happened on many occasions previously. Nobody had any brief for it. Nobody had any tears for it.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. C. PANT) : Sir, many points have been raised and some of them are points concerning Constitutional proprieties and the like, the role of Governors and so on. I at this stage do not want to be drawn into a discussion on those points. I would only like to say that we have received the Governor's report and we are examining it.

SHRI DWIJENDRALAL SEN GUPTA (West Bengal) : Mr. Deputy Chairman, just one question.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : No, please sit down, just listen to me. I think we have had enough discussion. Various points have been raised, various viewpoints have been expressed here, and the honourable Minister has also replied to the points. . .

SHRI N. G. GORAY : But the Government has not said anything on those points.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The honourable Minister has said that the Government has received the Governor's report. At present the Government is considering that report and after considering the report it will take necessary action. I think now it will not be desirable to express views in this House regarding the conduct of the Governor. The Governor has dissolved the Assembly and, as pointed out by Shri Chandrasekharan, under Article 174 I think the Governor has the discretion to dissolve the Assembly. In my view of the fact that the Governor has dissolved the Assembly the Government might take necessary action, whatever it deems fit. The Government might perhaps lay on the Table of the House a copy of the report of the Governor if it deems it fit and necessary, and after that the House may discuss the whole issue and express its views. I think it will be rather premature to express views now regarding the Governor's role.

STATEMENT RE APPOINTMENT OF REPRESENTATIVES OF WORKERS ON THE BOARD OF DIRECTORS OF HINDUSTAN STEEL LIMITED

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI S. MOHAN KUMAR-AMANGALAM) : Mr. Deputy Chairman, deficiencies in steel production have been a matter of great concern to the Government as well as to the House. As the House is aware, a number of steps have been considered to step up production. One of the factors which has affected production is unsatisfactory industrial relations that have existed in certain units of Hindustan Steel.

2. In this context, it is a matter of gratification that the recent wage agreement concluded by the Joint Wage Negotiating Committee for the Steel Industry through *bi-partite* negotiations